


30.10.25

उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 1 पीपीएम की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 83/73 के पत्थर नं. 95/386 (9) के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 16, 18 ता 25 में 3.795 हैक् कमाण्ड खातेदारी भुमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भुमि में आवागमन हेतु प्रार्थी को मात्र एक बीस्वा चौडाई रास्ता लगता है जो कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने हेतु कम है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम से चक 1 पीपीएम की जमाबन्दी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 173/81 के पत्थर नं. 95/387 (18) के किला नं 1/1 में 0.228 हैक् अ0क0, 1/2 में 0.025 हैक् खाला, 2/3 में 0.157 हैक् अ0क0, 2/4 में 0.017 हैक् खाला इस प्रकार कुल 0.427 हैक् अनकमाण्ड मय खाला व अप्रार्थी नं 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज चक 1 पीपीएम की जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 56/49 के पत्थर नं 95/387 (18) के किला नं 9, 10, 11/2, 12/2, 20/4 में 0.683 हैक् अनकमाण्ड खातेदारी भुमि में अप्रार्थी नं 1 के नाम 3336/3415 हिस्सा व अप्रार्थी नं 2 के नाम 79/3415 हिस्सा खातेदारी कृषि भुमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपने उक्त खातेदारी भुमि में आने जाने हेतु पत्थर नं 96/387(19) के किला नं 5, 6, 15, प्रत्येक में 1-1 बीस्वा चौडाई में स्वीकृतिशुदा रास्ता से आवागमन करता आ रहा है। लेकिन रास्ता छोटा होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी नं 1 व 2 के नाम के चक 1 पीपीएम के पत्थर नं 95/387 (18) के किला नं 1/1 में 0.0073 हैक् (4X132 = 0.0049 हैक् पश्चिमी पासा व 15X16.5= 0.0023 हैक् उत्तरी पश्चिमी कोना, कुल 0.0072 हैक्) व 10 में 0.0061 हैक् (4X165 = 0.0061 हैक् पश्चिमी पासा) व 11/2 में 0.006 हैक् (4X165 = 0.006 हैक् पश्चिमी पासा), 20/4 में 0.0035 हैक् (4X95 = 0.0035 हैक् पश्चिमी पासा) दक्षिण से उत्तर में रास्ता चला आ रहा है। अप्रार्थी न. 1 के नाम के चक 1 पीपीएम के पत्थर नं 95/387 (18) के किला नं 1/1 में 0.0073 हैक् (4X132 = 0.0049 हैक् पश्चिमी पासा व 15X 16.5= 0.0023 हैक् उत्तरी पश्चिमी कोना, कुल 0.0072 हैक्) व अप्रार्थी नं. 2 के नाम के किला नं. 10 में 0.0061 हैक् (4X165 = 0.0061 हैक् पश्चिमी पासा) व 11/2 में 0.006 हैक् (4X165 = 0.006 हैक् पश्चिमी पासा), 20/4 में 0.0035 हैक् (4 X 95 = 0.0035 हैक् पश्चिमी पासा) उत्तर से दक्षिणी लम्बाई में रास्ता हेतु अपने रकबा मे से भुमि कम करते हुए रास्ता देने हेतु सहमत है। जिसके बाबत् अप्रार्थी नं. 1 व 2 द्वारा शपथ पत्र दिये गये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 1 पीपीएम के पत्थर न. 95/387(18) के किला न. 1/1 में 0.0072 हैक्, 10 में 0.0061 हैक्, 11/2 में 0.006 हैक्, 20/4 में 0.0035 हैक् (पश्चिमी पासा) दक्षिण से उत्तर लम्बाई में रास्ता स्वीकार किया जावे।





उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GOMS
2025/587



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30 .10.2025	<p>बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो व अप्रार्थी न. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता छोटा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु रास्ता मिलना चाहिए। प्रार्थी अपने खेत में आवागमन हेतु पत्थर न. 95/387(18) के किला न. 1/1 में 0.0072 हैक्, 10 में 0.0061 हैक्, 11/2 में 0.006 हैक्, 20/4 में 0.0035 हैक् (पश्चिमी पासा) दक्षिण से उत्तर लम्बाई में आवगमान करता है। जो कि मौका पर चल रहा है। अप्रार्थी न. 1 व 2 भी जरिये शपथ पत्र प्रार्थी को रास्ता देने हेतु सहमति दे चुके हैं। जिसमें अप्रार्थी न. 1 व 2 द्वारा कोई रास्ता के बदले मुआवजा अथवा भूमि की मांग नहीं की गई है। अतः दोनो पक्षकारो की सहमति के आधार पर कानूनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हम स्वीकार करना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 पीपीएम के पत्थर नो 95/387 (18) के किला न. 1/1 में 0.0072 हैक् (4 X 132 = 0.0049 हैक् पश्चिमी पासा व 15 X 16.5 = 0.0023 हैक् उत्तरी पश्चिमी कोना, कुल 0.0072 हैक्) व 10 में 0.0061 हैक् (4X165 = 0.0061 हैक् पश्चिमी पासा,) व 11/2 में 0.006 हैक् (4X 165 = 0.006 हैक् पश्चिमी पासा), 20/4 में 0.0035 हैक् (4X95 =0.0035 हैक् पश्चिमी पासा) पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर लम्बाई में चालु रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अप्रार्थी न. 1 के नाम से चक 1 पीपीएम के खाता संख्या 173/81 के पत्थर नं. 95/387 (18) के 0.427 हैक् रकबा में से 0.0072 हैक् रकबा व अप्रार्थी नं. 2 के नाम अंकित चक 1 पीपीएम के खाता संख्या 56/49 के पत्थर नं. 95/387 (18) के 0.683 हैक् रकबा में 79/3415 हिस्सा यानि 0.0158 हैक् भूमि कम की जाकर रास्ता के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्णय अनुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर फरमाई जावे।</p>	




(शरत-जय-प्रकाश-मीचा) ए.एस.डी.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (सि.ज.)
सूरतगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

क्रमांक / राजस्व / प्रा.पत्र / 247 / 2025 / 28.10.2025 / 6073

दिनांक:- 30.10.2025

तहसीलदार
सूरतगढ़

विषय:-राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 247/2025 रणवीर बनाम फरसाराम
आदि अन्तर्गत धारा 251-क आर.टी.एक्ट में पारित निर्णय
दिनांक 30.10.2025 की पालना करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी रणवीर पुत्र दयानंद जाति जाट निवासी वार्ड नं0 02 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ को अपने खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु चक 1 पीपीएम के पत्थर न0 95/387 (18) के किला न. 1/1 में 0.0072 हैक् (4 X 132 = 0.0049 हैक् पश्चिमी पासा व 15 X 16.5 = 0.0023 हैक् उत्तरी पश्चिमी कोना, कुल 0.0072 हैक्) व 10 में 0.0061 हैक् (4X165 = 0.0061 हैक् पश्चिमी पासा,) व 11/2 में 0.006 हैक् (4X 165 = 0.006 हैक् पश्चिमी पासा), 20/4 में 0.0035 हैक् (4X95 =0.0035 हैक् पश्चिमी पासा) पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर लम्बाई में चालु रास्ता स्वीकृत किया जाता है। अप्रार्थी न. 1 के नाम से चक 1 पीपीएम के खाता संख्या 173/81 के पत्थर नं. 95/387 (18) के 0.427 हैक् रकबा में से 0.0072 हैक् रकबा व अप्रार्थी नं. 2 के नाम अंकित चक 1 पीपीएम के खाता संख्या 56/49 के पत्थर नं. 95/387 (18) के 0.683 हैक् रकबा में 79/3415 हिस्सा यानि 0.0158 हैक् भुमि कम की जाकर रास्ता के नाम दर्ज की जावे। राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन किया जावे।




(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)